

मु० न०:- 66 /2023

तारीखरजु:- 15/6/23

उनवान:- रामरुवरूप बनाम शकुन्ताला बाई वगै०
दावा बाबत इस्तकरारहक, रथारी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>चादी की और से श्री रामभरारी गुप्ता एडवोकेट ने दावा बाबत इस्तकरारहक, रथारी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 04.07.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(गौरव कुमार मित्तल) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
47/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न० ५ की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एड० ने मीमो पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। एवं प्रतिवादी न० ५ के नोटिस का कार्रवाई द्वारा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पैरोकार सरकार उपस्थित। एवं प्रतिवादी न० 1, 2 के नोटिस तामील विधिवत नहीं हुई है। पुनः नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को डिजाफ्ट डी गई। वास्ते तलबी एवं जवाब पेश करने हेतु दिनांक 1.8.23 को पेश हो।</p>
1-8-23	<p>वादी वकील/वकील उमय पदम अग्रिमिन पीठासन अधिकारी... का पत्रावली गतानुसार दिनांक... 1-8-23 को पेश हो।</p>
11/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उपपपकारान उप०। वास्ते तलबी एवं जवाब पेश करने दिनांक 19.10.23 को पेश हो।</p>

2148-52
15/6/23



दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>19/10 वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित 28 पीठासीन अधिकारी... पु. न. व. का. प्र. से कलक्टर है। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 8.12.23 को पेश हो।</p>
8.12.23	<p>पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से काय रयगम रख गये हैं। पीठासन अधिकारी... पु. न. व. का. प्र. से कलक्टर है। गतानुसार दिनांक... 9.1.24 को पेश हो।</p>
28/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न. प. ल. गा. उ. की ओर से जी सुनील कुमार सिन्हा ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रेट। वास्ते जबाब पेश करने दिनांक 15.3.24 को पेश हो।</p>
15-3-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित प्रतिवादी वकील को जबाब पेश करने की दिशा में डी गैर वास्ते जबाब दिनांक 15-4-2024 को पेश हो।</p>
15.4.24	<p>वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पु. न. व. का. प्र. से कलक्टर है। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 21.5.24 को पेश हो।</p>
21.5.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील व वादीगणों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार-2 आवक दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए वादी का दावा इस्तकरारदक व स्मापी निषेधाना अदम हाजिरी एवं अदम पैसी में स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फैमल शुभार होकर नम्बर से कम टोकर डारिबल इफ्तर हो।</p>